

#1302

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं.

1022

द्वारा दिनांक

9/10/25

निर्णय दिनांक

09/10/25

रिपोर्ट



क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	श्रीमान श्री.सि. शर्मा	167	रटेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड, जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुश्रुणा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>कपासन</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
प्रतिनिधि पालनाथ:-			हस्ताक्षर पदवार पदवार पदवारी	हस्ताक्षर निरदावर श्री. निरदावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पदवारी पदवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
तहसीलदार कपासन
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़